

सरकार बनाम

दिनांक 28.11.2025

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त वर जमानत
अनुपस्थित। अभियुक्त वकील उप०।

जिसकी हाजरीमाफी की दरखास्त आज की पेशी के लिए
स्वीकार की जाती है। हाजिर गवाह पी ड. 11 दुर्गाराम के
बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह/गवाहान सं. 1,7,12
अनुपस्थित। जिनके जारीशुदा अहकाम अदम तामिल लौटे हैं।
उक्त गवाहान की तलबी न्यायालय द्वारा बार-बार जारी की
जा चुकी है, परंतु गवाह/गवाहान उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण
10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हैं। माननीय राजस्थान उच्च
न्यायालय द्वारा दस वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों के संबंध में
दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसके अनुसार उक्त
प्रकरण दस वर्ष से अधिक पुराना है। गवाह सं. 1,7,12 को
जरिए जमानती वारण्ट 1000/- से तलब किया जावे तथा
डी ओ पत्र एस पी बाडमेर को जारी किया जावे। तामिलों पर
फौजदारी लिपिक इस आशय का लाल स्याही का नोट लगावे
कि प्रकरण दस वर्ष से पुराना है तथा संबंधित थाना आवश्यक
रूप से गवाह की तामिल करावे साथ ही अभियोजन अधिकारी
को पत्रावली नोटेड करायी जाकर हिदायत दी जाती हैं, कि
आगामी पेशी पर उक्त गवाह को अपने स्तर पर उपस्थित
रखें। पत्रावली वारंते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 10.12.2025 को
पेश हो।

सिविल स्याधीरा एव
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाडमेर